फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

पुखराज

बनाम

श्री विश्वकर्मा रियल स्टेट–जी–2 इत्यादि

किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट न. 124 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2023	पत्रावली बाद जाचं होकर कार्यालय से पेश हई। अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 289/2023 अनवान श्री विश्वकर्मा रियल स्टेट बनाम पुखराज इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 के विरूद्ध पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र थानवी उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया हैं। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये बतौर मालिक काबिज है तथा वादग्रस्त आराजी का उपभोग–उपयोग कर रहा है। प्रार्थी–वादी स्वयं उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के निष्पादन में बतौर साक्षी उपस्थित रहा था। इन सभी तथ्यों को जानकारी होते हुए वादी द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गलत तथ्यों के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है जो काबिले निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवायी गई और न ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2023 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन, खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन अंतरिम आदेश प्रार्थी/रेस्पो. को सुनकर उसके पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला मानते हुए पारित किया गया है तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.07.2023 नियत की गई थी। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किये बिना ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अपीलाट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए

चाराजोही कर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेशिका है, के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना/इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना न्यायालय हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट इस आशय से निर्णित की जाकर अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। 09.08.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर